

**राजस्थान सरकार**  
**विधि एवं विधिक कार्य विभाग**

क्रमांक: प.22(1)न्याय / 19


जयपुर, दिनांक: 25.06.2020

**:: आज्ञा ::**

राजस्थान विधि सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन प्रशासनिक आधार पर एतद्वारा तुरन्त प्रभाव से किये जाते हैं:-


क्र. सं.	नाम सर्व श्री/श्रीमती/सुश्री	वर्तमान पदस्थापन स्थान	पदस्थापन स्थान	विशेष विवरण
1.	योगेन्द्र कुमार दाधीच,	उप विधि परामर्शी, जिला कलक्टर कार्यालय सीकर (स्थानान्तरणाधीन)	उप विधि परामर्शी जिला कलक्टर कार्यालय, बीकानेर	श्री जाखड़ के स्थान पर (पदोन्नति पर)
2.	श्री गिरधारी लाल जाखड़	उप विधि परामर्शी जिला कलक्टर कार्यालय, बीकानेर	उप विधि परामर्शी, जिला कलक्टर कार्यालय, सीकर	श्री दाधीच के स्थान पर
3.	हजारी राम सिरवी	उप विधि परामर्शी नगर निगम, अजमेर (आदेशों की प्रतिक्षा में स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर)	उप विधि परामर्शी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर	रिक्त पद पर
4.	नरेश पाल सिंह	वरिष्ठ विधि अधिकारी आदेशों की प्रतिक्षा में	वरिष्ठ विधि अधिकारी निदेशालय महिला अधिकारिता, जयपुर	रिक्त पद पर

श्रीमती शालिनी मित्रुका, कनिष्ठ विधि अधिकारी, मतस्य विभाग, जयपुर को वरिष्ठ विधि अधिकारी, निदेशालय महिला अधिकारिता विभाग के अतिरिक्त कार्यभार के आदेश दिनांक 17.10.2019 को निरस्त किया जाता है।

आज्ञा से  
  
25.6.2020  
(मधुसूदन शर्मा)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय विधि मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
3. संबंधित विभाग को प्रेषित कर लेख है कि वे इस विभाग के आदेश क्रमांक प.22(4)न्याय/2002 दिनांक 03.07.2002 के क्रम में संबंधित कार्मिक को तुरन्त प्रभाव से कार्यमुक्त करने का श्रम करावें।
4. संबंधित अधिकारीगण/कर्मचारीगण को प्रेषित कर लेख है कि उक्त कार्मिक आदेश की पालना कर कार्यग्रहण रिपोर्ट इस विभाग को अविलम्ब भिजवायेंगे।
5. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

  
25.6.2020  
संयुक्त शासन सचिव